

फर्द अहकाम

जो फर्द

बनाम जगदीश

नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

केस संख्या

24/2008

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>7/11/10/23</p> <p>11/10/23</p> <p>महेश्वर नरेश्वर</p> <p>राजेश्वर नरेश्वर</p>	<p>11/10/23</p>	<p>वकील पार्सी के प्राप्पण पर आज पचावगी लागू की जागी फेरा हुआ वकील पार्सी ने प्राप्पण (बाप विद्वा) किया जाके प्राप्पण फेरा किया। पचावगी व प्राप्पण का अनुमोदन किया। पार्सी स्वयं उपर पार्सी ने प्राप्पण से अंकित किया है कि प्राप्पण को बागें खण्डा नही खाएगी बसकिए प्राप्पण विद्वा काण खाएगी अतः पार्सी का प्रार्थन के आधार पर प्राप्पण पार्सी विद्वा किया जागी पचावगी नाम ही कहेंगे का कान व कलीक मूक वाद के साथ संलग्न ही सुनाया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>

